

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यास्तित)

दावा संख्या -  
निर्णय दिनांक-

96 / 2017  
24.8.2018

उनवान

1. कैलाश पुत्री मांगीलाल पत्नी रामविलास जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा हाल निवासी साईपुरा तह0 उनियारा
2. तीजू देवी पुत्री मांगीलाल पत्नी देवकिशन जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा हाल निवासी हतरुली तहसील बोली जिला स0माधोपुर
3. शंकरी पुत्री हरपाल पत्नी हनुमान जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा हाल निवास रोहीत तह0 उनियारा
4. पंची देवी पुत्री मांगीलाल पत्नी हीरालाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा हाल निवासी सूथडा तहसील उनियारा
5. बजरंगी पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. कमलेश पुत्र भेरूलाल जाति गुर्जर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
7. राजेश पुत्र भेरूलाल जाति गुर्जर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
8. गुलाब पत्नी कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. रामविलास दत्तक पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
10. संतरा पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादीगण

बनाम

1. मढ्ठूलाल पुत्र शंकरा जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गीताराम पुत्र मढ्ठूलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. मनराज पुत्र मढ्ठूलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक  
-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा  
उपस्थित:- श्री ईकबाल अहमद वकील वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-





2070-2074 ग्राम झुण्डवा के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख0न0 19 रकबा 0.58 कैलाश पुत्री मांगीलाल, गुलाब देवी पत्नी मांगीलाल, लीजू पुत्री मांगीलाल, शंकरी देवी पुत्री हरपाल, पांची देवी पुत्री मांगीलाल, बजरंगी पुत्री कल्याण, बदरी पुत्री मांगीलाल, मु0 गुलाब पत्नी कल्याण, रामबिलास दत्तक पुत्र कल्याण, लाडा देवी पत्नी हरपाल, सेतरा पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर सा0 देह की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण के बावजूद तामीली सम्मन वाद में उपस्थित न होना वादीगण के वाद का परीक्ष समर्थन है। । साक्ष्य वादीगण से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 19 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम झुण्डवा तहसील उनियारा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे, ना काश्त में बाधा डालें और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे। पर्या डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



कैलाश चन्द गुर्जर  
(आर.ए. एस.)  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
(डिप्टी मुकदमा इन्तदाई)

उनवान

1. कैलाश पुत्री मांगीलाल पत्नी रामबिलास जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा हाल निवासी साईपुरा तह० उनियारा
2. तीजू देवी पुत्री मांगीलाल पत्नी देवकिशन जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा हाल निवासी हतरुली तहसील बोली जिला स०माधोपुर
3. शंकरा पुत्री हरपाल पत्नी हनुमान जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा हाल निवास रोहीत तह० उनियारा
4. पंशी देवी पुत्री मांगीलाल पत्नी हीरालाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा हाल निवासी सूथडा तहसील उनियारा
5. बजरंगी पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. कमलेश पुत्र भेरूलाल जाति गुर्जर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
7. राजेश पुत्र भेरूलाल जाति गुर्जर निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक
8. गुलाब पत्नी कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
9. रामबिलास दत्तक पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
10. संतरा पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादीगण

बनाम

1. मट्टूलाल पुत्र शंकरा जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. गीताराम पुत्र मट्टूलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. मनराज पुत्र मट्टूलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 96 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कलई रुबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर०ए०एस० ब हाजरी श्री ईकबाल अहमद वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख०न० 19 रकबा 0.58 है० वाके ग्राम झुण्डवा तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले और ना ही कब्जा करने का प्रयास करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 08 सन् 2018 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक